न्यायालय : प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी म.प्र.

कमांक– 947 **शिवपुरी दिनांक– 28.10.2025**

–:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::–

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म0प्र0 **नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **नवंबर–दिसंबर 2025** में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों/जांच एजेंसियों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाती हूँ :–

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम एवं स्थान	स्थान	माह नवंबर–दिसंबर 2025 के पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश दिनांक
1	2	3	4
1-	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी।	शिवपुरी	05-11-2025
2-	सुश्री प्रिया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	15-11-2025 16-11-2025 28-12-2025
3-	सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	01-11-2025 02-11-2025 25-12-2025
4-	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	23-11-2025 14-12-2025
5-	सुश्री निहारिका व्यास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	09-11-2025 20-12-2025 21-12-2025
6-	श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	30-11-2025 06-12-2025 07-12-2025
7-	श्रीमती आकांक्षा यादव,	करैरा	23-11-2025

	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी		06-12-2025 07-12-2025
8-	श्री भूपेंद्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	30-11-2025 20-12-2025 21-12-2025
9-	श्री भूपेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	15-11-2025 16-11-2025 14-12-2025
10-	सुश्री काजल रेनीवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	05-11-2025 09-11-2025 28-12-2025
11-	श्री रज्नेश पाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	01-11-2025 02-11-2025 25-12-2025
12-	श्री विकास विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	09-11-2025 23-11-2025 14-12-2025 25-12-2025 28-12-2025
13-	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	01-11-2025 02-11-2025 05-11-2025 06-12-2025 07-12-2025
14-	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	15-11-2025 16-11-2025 30-11-2025 20-12-2025 21-12-2025
15-	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	कोलारस	02-11-2025 09-11-2025 30-11-2025 20-12-2025 25-12-2025

16-	श्रीमती प्रीति पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	कोलारस	05-11-2025 23-11-2025 07-12-2025 21-12-2025
17-	श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।	कोलारस	01-11-2025 15-11-2025 16-11-2025 06-12-2025 14-12-2025 28-12-2025
18-	श्रीमती अंजली पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी	पोहरी	01-11-2025 02-11-2025 09-11-2025 23-11-2025 20-12-2025 21-12-2025 25-12-2025
19-	सुश्री काजल नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी	पोहरी	05-11-2025 15-11-2025 16-11-2025 30-11-2025 06-12-2025 07-12-2025 14-12-2025 28-12-2025
20-	सुश्री मोनिका वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना, जिला शिवपुरी।	खनियाधाना	01-11-2025 02-11-2025 05-11-2025 09-11-2025 15-11-2025 16-11-2025 23-11-2025 30-11-2025 06-12-2025 07-12-2025

			14-12-2025 20-12-2025 21-12-2025 25-12-2025 28-12-2025

नोट :–

01. रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट की उक्त दिनांक की ही मुख्यालय अनुमति स्वीकृत नहीं की जायेगी, जब तक कि अत्यधिक अनिवार्य परिस्थिति न हो। यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट किसी कारणवश किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य स्थापित कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का अवकाश आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने की प्राप्त कर ली गयी है, इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को अनिवार्यतः देंगे।

02. माह **<u>नवम्बर–दिसम्बर 2025</u>** <u>में किसी कार्य दिवस को अवकाश घोषित किये जाने की दशा में तथा</u> पूर्व से घोषित ऐसे स्थानीय अवकाश बावत् या अन्य किसी प्रकार के अवकाश बाबत् जिसके बारे में इस आदेश में उल्लेख नहीं हो सका है, उसके संबंध में जिला न्यायालय शिवपुरी में उक्त दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन श्री धर्मवीर सिंह राठौर, जे0एम0एफ0सी0 शिवपुरी के द्वारा, न्यायालय कोलारस में श्रीमती रजनी मीरोठा, जे0एम0एफ0सी0 कोलारस द्वारा, न्यायालय करैरा में श्री भूपेंद्र सिंह, जे0एम0एफ0सी0 करैरा के द्वारा, न्यायालय पिछोर में श्री विकास विश्वकर्मा, जे0एम0एफ0सी0 पिछोर के द्वारा, न्यायालय खनियाधाना में सुश्री मोनिका वर्मा जे0एम0एफ0सी0 खनियाधाना अथवा तहसील पिछोर में उपलब्ध मजिस्ट्रेट द्वारा एवं न्यायालय पोहरी में सुश्री काजल नायक, जे0एम0एफ0सी0 पोहरी के द्वारा किया जावेगा।

03. यदि जिले में तैनात कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा प्रशिक्षण पर प्रस्थान करता है एवं अन्य कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तब अंतिम विकल्प के रूप में उक्त मजिस्ट्रेट के स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी का

निष्पादन उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निष्पादित किया जावेगा जो कि मूल आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2025 के अनुसार उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

04. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादित किया जावेगा।

05. अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दिन के 03.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जा सकेगा एवं उक्त दौरान उस न्यायिक मजिस्ट्रेट का समस्त स्टाफ उपस्थित रहेगा।

06. रिमांड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट के लिये यह आवश्यक होगा कि अर्जेन्ट कार्य अथवा प्रोटोकॉल की स्थिति में वे ड्यूटी दिनांक को आवश्यक रूप से अपने मुख्यालय पर ही उपस्थित रहें।

नोटः– तहसील खनियाधाना पर सार्वजनिक अवकाश वाले दिन वहां पदस्थ मजिस्ट्रेट के किसी आकस्मिकता के कारण अवकाश पर अथवा मुख्यालय से बाहर होने की दशा में उक्त मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभार वाले मजिस्ट्रेट को सूचना देकर सहमति उपरांत रिमांड ड्यूटी तहसील पिछोर में, उनके प्रभार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जायेगी। सुश्री मोनिका वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना, जिला शिवपुरी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह ऐसी किसी भी परिस्थिति अथवा अवकाश की सूचना आवश्यक रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को देंगी।

अनुमोदित

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

28/11/25

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.